# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नदबई (भरतपुर)

(पीठासीन अधिकारी श्री गंगाधर मीणा R.A.S.)

प्रकरण सं. 1/2023

अपील खिलाफ नामान्तकरण स. 1610 दिनांक 02.02.2022

ग्राम पचांयत डहरा प.स. नदबई

निर्णय दिनांक 23.12..2024

1. बीनादेवी पुत्री गिरवर जाति जाटव निवासी डहरा तहसील नदबई जिला भरतपुर हाल निवासी बंसत बिहार कॉलोनी भरतपुर तह. व जिला भरतपुर ।

—अपीलान्ट

बनाम

1. राज. सरकार जरिये तहसीलदार नदबई।
2. ग्राम पंचायत डहरा जरिये सरपंच पंचायत समिति नदबई भरतपुर।
3. कलावती पत्नि दिलसुख जाति जाटव निवासी डहरा तहसील नदबई
4. भगवानसिंह पुत्र दिलसुख जाति जाटव निवासी डहरा तहसील नदबई
5. लक्ष्मी पुत्री दिलसुख जाति जाटव निवासी डहरा तहसील नदबई – नान अपीलांट
6. फत्तेसिंह पुत्री दिलसुख जाति जाटव निवासी डहरा तहसील नदबई
7. लालसिंह पुत्र दिलसुख जाति जाटव निवासी डहरा तहसील नदबई
8. कुवरसिंह पुत्र दिलसुख जाति जाटव निवासी डहरा तहसील नदबई
9. रमनसिंह पुत्र दिलसुख जाति जाटव निवासी डहरा तहसील नदबई
10. नथिया पत्नि दिलसुख जाति जाटव निवासी डहरा तहसील नदबई
11. रामरतन पुत्र बहोरी जाति जाटव निवासी डहरा तहसील नदबई
12. तुहीराम पुत्र मेघा जाति जाटव निवासी डहरा तहसील नदबई
13. दीपचंद पुत्र मेघा जाति जाटव निवासी डहरा तहसील नदबई
14. प्रभू पुत्र मेघा जाति जाटव निवासी डहरा तहसील नदबई
15. मनीराम पुत्र मेघा जाति जाटव निवासी डहरा तहसील नदबई
16. रामप्रसाद पुत्र मेघा जाति जाटव निवासी डहरा तहसील नदबई
17. घसीड़ा पुत्र खरगा जाति जाटव निवासी डहरा तहसील नदबई तर.नान अपीलांट

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.06.23 16:06:15 IST
Reason: SelfAttested

23/12/24

हुक्म की तामील

उपस्थित अधिवक्ता श्री रामकिशन पूनिया एड (अपीलांट की ओर से)

श्री बृजेश शर्मा एड (नान अपीलांट की ओर से)

**अपील खिलाफ नामान्तकरण स. 1610 दिनांक 02.02.2022**

## :: निर्णय ::

1. यह कि आराजी खाता स. 218 के आराजी नंबरान 1394 रकबा 0.17 है. , 1395 रकबा 0.18, 1396 रकबा 0.17 किता 3 व खाता संख्या 215 के खसरा नंबर 1601 रकबा 0.37, 2061/1602 रकबा 0.01, 866 रकबा 0.13 व 879 रकबा 0.11 किता 4 तथा खाता संख्या 213 के खसरा नंबर 1390 रकबा 0.27 व 2190/1363 रकबा 0.18 व 2193/1389 रकबा 0.09 व 923 रकबा 0.08 किता 4 व खाता संख्या 216 के खसरा नंबर 626 रकबा 0.04, खाता संख्या 217 के खसरा नंबर 1384 रकबा 0.46, 1385 रकबा 0.23 व 1386 रकबा 0.25 किता 3 वाके ग्राम डहरा तहसील नदबई में स्थित है।
2. यह कि विवादित आराजी वादिनी की पैतृक संपत्ति है क्योंकि उक्त संपत्ति हाल खातेदारान को मेरे मृतक बाबा दिलसुख से विरासतन प्राप्त हुई है जबकि विरासतन का दाखिला ग्राम पंचायत डहरा द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर बिना जानकारी किए व मृतक दिलसुख के सभी वारिसान को नामान्तरकरण नहीं खोला है। सजरा वादपत्र में अंकित है।
3. यह कि सजरा अनुसार अपीलाण्ट का पिता गिरवर बाबा दिलसुख के जीवनकाल में ही मृत्यु हो गई थी उस समय अपीलाण्ट करीब 2–3 माह की थी जिसका पालन पोषण मेरी मां नथिया ने किया था। लेकिन कुछ दिन बाद मेरी मां नथिया मुझे छोडकर जलसिंह के यहां खानिदांज हो गई। मैंने जैसे तेसे अपना जीवन यापन किया। मेरे बाबा दिलसुख की मृत्यु 2016 में हुई थी लेकिन असल नॉन अपीलाण्ट ने अपीलाण्ट का दाखिला में अंकित नहीं होने दिया क्योंकि इससे पूर्व सरपंच को इस बात का पता था कि दिलसुख की एक [illegible] गिरवर भी है और उसकी एक पुत्री बीना भी है जिसका नामान्तकरण में [illegible] रूप में अंकित होना चाहिए। पूर्व सरपंच ने बीना का दाखिला नहीं खोला परन्तु [illegible] सरपंच ने नॉन अपीलाण्ट से साजकर मृतक गिरवर की पुत्री बीना का नाम नामान्तकरण में

23/12/24

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.06.23 15:06:15 IST
Reason: SelfAttested

अंकित नहीं किया और अपीलांट क हिस्से की जमीन को नाम अपीलांट कलावती, जलसिंह, भगवानसिंह व लक्ष्मी को अंतरित कर दी जो गलत है।

4. यह कि नॉन अपीलाण्ट संख्या 2 ने अपीलांट कलावती व भगवान सिंह व लक्ष्मी आदि से साजकर झूठे शपथ पत्रों के आधार पर ग्राम पंचायत डहरा ने नामा0 गलत तथ्यों के आधार पर खोल दिया जो काबिल खारिज के है। अतः प्रार्थना की कि अपील अपीलाण्ट स्वीकार किया जाकर नामा0 संख्या 1610 दिनांक 02.02.2022 को निरस्त करते हुए मृतक दिलसुख की संपत्ति का 1/5 हिस्सा अपीलाण्ट का नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

अपील अपीलाण्ट दर्ज रजिस्टर किया जाकर नॉन अपीलाण्ट को जरिए नोटिस तलब किया गया। नॉन अपीलाण्ट संख्या 3 लगायत 5 की ओर से श्री बृजेश कुमार एडवोकेट उपस्थित हुए तथा शेष 6 लगा 17 को प्रार्थना पत्र के आधार पर तर्क किया गया एवं नॉन अपीलाण्ट संख्या 1 व 2 की तलवी बाबजूद भी उपस्थित न होने के कारण इनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई तथा नॉन अपीलाण्ट 3 लगा 5 की ओर से जबाव पेश किया गया जो शामिल पत्रावली है।

1. अपीलाण्ट द्वारा अपील के समर्थन में नकल नामा0 संख्या 1610 दिनांक 02.02.2022 ग्राम पंचायत डहरा एवं नकल जमाबंदी संवत 2074–77 वाके ग्राम डहरा पेश की गई।
2. नॉन अपीलाण्ट द्वारा अपने समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में कोई भी दस्तावेज पेश नहीं किया।

हमने अपीलाण्ट एवं नॉन अपीलाण्ट के अधिवक्तागणों की बहस को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबंदी संवत 2074–77 पेश की गई जिसमें खाता संख्या 218, 215, 214, 213, 216, 217 पर नॉन अपीलाण्ट कलावती, जलसिंह, भगवानसिंह, लक्ष्मी के नाम खातेदारी का अंकन हो रहा है तथा अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत नकल नामा0 संख्या 1610 दिनांक 02.02.2022 ग्राम पंचायत डहरा पेश की गई जिसमें दिलसुख के वारिसान का दाखिला खारिज नॉन अपीलाण्ट कलावती, जलसिंह, भगवानसिंह व लक्ष्मी पुत्रान/पुत्री/[illegible] नाम खोला गया है परन्तु अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अन्य जमाबंदी संवत 2074[illegible] खाता संख्या 66 वाके ग्राम

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.06.23 15:06:15 IST
Reason: SelfAttested

23/12/24

डहरा पेश की गई जिसमें अपीलाण्ट बीना पुत्री गिरवर हिस्सा 13/48 जाति जाटव साकिन देह गैर खातेदार का अंकन हो रहा है। इस प्रकार अपीलाण्ट द्वारा पेश की गई जमाबंदी संवत 2074–77 वाके डहरा से साबित है कि नॉन अपीलाण्ट कलावती, जलसिंह, भगवानसिंह, लक्ष्मी के अलावा दिलसुख के एक वारिस गिरवर भी था जिसकी मृत्यु दिलसुख के जीवनकाल में ही हो गई थी एवं उसकी पत्नी नथिया जो कि अपीलाण्ट की माता नॉन अपीलाण्ट जलसिंह के यहां खानिदांज हो गई तथा गिरवर के एक पुत्री जो कि बीना है, ग्राम पंचायत डहरा द्वारा दिलसुख की विरासत का दाखिला खारिज केवल कलावती, जलसिंह, भगवानसिंह व लक्ष्मी के नाम खोला गया है जबकि गिरवर की एक पुत्री बीना भी है, उसका अंकन विरासत दाखिला खाजिर में नहीं किया गया है चूंकि विवादित आराजीयात मृतक दिलसुख की आराजी है तथा अपीलाण्ट की पैतृक आराजी है इस प्रकार अपीलाण्ट का विवादित आराजी में जन्म से हिस्सा निहित है। ग्राम पंचायत द्वारा केवल नॉन अपीलाण्ट असल के नाम खोला गया जो कि कानूनी रूप से गलत है। लिहाजा अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार योग्य है।

**–: : आदेश : :–**

अतः आदेश है कि अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाकर तहसीलदार नदबई को इस रिमाण्ड के साथ निर्देशित किया जाता है कि दाखिला खारिज संख्या 1610 दिनांक 02.02.2022 के संबंध में वारिसानों की जांच कर नियमानुसार उभयपक्षकारान को सुनवाई का अवसर देते हुए कार्यवाही की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 23.12.24 को लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

23/12/24

(गंगाधर मीणा R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
नदबई (भरतपुर)

उपखण्ड अधिकारी
नदबई (भरतपुर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.06.23 15:06:15 IST
Reason: SelfAttested